अनुच्छेद - 42 - राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

Article 42 - The State shall endeavour to ensure that people are required to work in suitable and humane conditions and shall make provision for maternity relief to women.

व्यक्ति - अस्थमा
Dust / धुआं महिला

अनुच्छेद - 43 - राज्य व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे।

Article 43 - The State should encourage Cottage Industries on Individual or Co-operative basis.

गांव ⇒ कुटीर उद्योग < Individual (व्यक्तिगत)
सहकारिता (Co-operative)

अनुच्छेद 43 ख - राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन

अनु॰ 43 ख - सन्तानवेवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया है

Article 43 B - Voluntary formation of State Cooperative Societies

Article 43 B - Added by the 97th Constitutional Amendment Act. 2011

43 B → सहकारी समितियों का गठन

Add on जोड़ा गया ⇒ 97 CA 2011

Ex. डेयरी उद्योग

जब कई लोग मिलकर एक साथ आर्थिक आधार पर जुड़ते हैं।

अनु. 44 - समान नागरिक संहिता

Article 44 - Uniform Civil Code

UCC ⇒ गोवा

⇒ उत्तराखण्ड

अपराधिक मामलें / Criminal Cases / Matters → A (Hindu) → Murder हत्या

B (Muslim) → हत्या → अपराध ⇒ समान

↳ सजा ⇒ समान

सिविल मामले Civil Matters ⇒ तलाक, प्रोपर्टी, विवाह etc. → Hindu law, Muslim law → अलग-2

Art. 45 ⇒ 0-6 वर्ष के बच्चे (Children) DPSP

↳ देखभाल (care) और शिक्षा (education) देना राज्य का कर्तव्य होगा।

2002 से पहले 6-14 वर्ष के बच्चे

↓ ↳ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

86 CA - 2002 ⇒ Art. 21 (A) ⇒

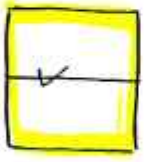
अनुच्छेद - 46 - राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के, शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की, विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

Article 46 - The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker Sections of the people, in particular of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them against Social injustice and all forms of exploitation.

Art. 46 → Weaker Section's कमजोर वर्ग
- SC / अनुसूचित जाति ⇒ शिक्षा
- ST / अनुसूचित जनजाति ⇒ रोजगार
- सामाजिक अन्याय और शोषण सुरक्षा

अनुच्छेद - 47 - स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबन्ध लगायेगा।

Article 47 - Will prohibit the Consumption of intoxicating drugs and other substances harmful to health



बिहार, गुजरात > शराब ⇓ पूर्ण प्रतिबंध

अनुच्छेद - 48 - राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के

संरक्षण और सुधार के लिए तथा अनका वध रोकने के लिए कदम उठायेगा

Article 48 - The State shall Stoive to make agriculture and animal husbandry modern and Scientific and, in particular, shall take steps to preserve and improve the breeds of milch and draught cattle and to prevent their Slaughter

Art - 48 ⇒ कृषि (Agriculture) — आधुनिक और वैज्ञानिक Modern and Scientific

पशुपालन (Animal Husbandry)

↳ दुधारू पशु ⇒ हत्या ⇒ प्रतिबंध | ex. ⇒ गाय ⇒ Cow

अनु. 49 - के तहत राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को, जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया

Article 49 - under the Act, the State shall protect every monument place of artistic or historical interest declared by Parliament to be of national importance.

Art.49 ⇒ Historical and artistic | ऐतिहासिक रुप ⇒ राज्य ⇒ सुरक्षा कलात्मक स्थान

↳ ex. ⇒ शीश महल, ताजमहल, लाल किला etc.

अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक

Separate the Judiciary from the executive under Article 50

executive → राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद → महान्यायवादी

अनुच्छेद 51 अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति सम्बन्धी निदेशक तत्व के बारे में है

Article 51 is about international peace and Security and the directive principle of India's foreign policy

→ 

▶ कौन-कौन से नीति निदेशक तत्व 42 वें संविधान संशोधन द्वारा भाग चार में जोड़े गये हैं? Which Directive Principles of State policy have been added to part IV by the 42nd Constitutional Amendment?

⇒ अनुच्छेद - 39 क (समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता), अनुच्छेद 43 - क (उद्योग के प्रबन्धन में कर्मकारों का भाग लेना), अनुच्छेद 48 - क (पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा)

Article 39 (A) (Equal justice and free legal aid)

Article 43 - A (Participation of workers in the management of industry)

Article 48 - A (Protection of environment, forests and wild life)